प्रकरण सं0 12/2016 अनवानी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–कुलवंत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी चक 1 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.01.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री मोहनलाल माहर उपस्थित है। अप्रार्थी कुलवंत सिंह के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन था कि अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आश्य का पेश किया है कि प्रार्थी के नाम चक 1 एफ छोटी में मु0न0 30 के कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 में 1.265 हे0 भूमि है जिसमें आने जाने के लिए मु0न0 29 के कि0न0 1ता5 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में अनवानी प्रकरण कुलवंत सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह वगैरा दर्ज होकर लंबित है।

उनका आगे कथन था कि प्रकरण में अभी जबाब ही पेश नही हुआ था किन्तु बहस के लिए तारीख पेशी मुकर्रर कर दी, जिससे प्रार्थी अपने हक व अधिकार से वंचित हुआ है।

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता के पद से सेवानिवृत है और सरेआम कह रहा है कि उसने अधिकारी से बात कर ली है और एक दो दिन में फैसला उसके पक्ष में हो जावेगा। इसलिए उसे निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है। उनके द्वारा आरआरटी 2016(1) पेज 164 व पेज 335 का उद्धरण देते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सेवानिवृत अधिकारी है और पीठासीन अधिकारी उसके प्रभाव में है इसलिए प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए उक्त प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी कुलवन्तसिंह के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग का कथन था कि अप्रार्थी एक सेवानिवृत अधिकारी अवश्य है किन्तु वह भी एक सामान्य पक्षकार है और उसने अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की मांग की है जिसका गुण दोष के आधार पर ही उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय करना है। उसका उपखण्ड अधिकारी पर किसी प्रकार का कोई दबाब नही है और प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण में विलम्ब करने की दृष्टि से ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
12/2016

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन दिनांक 01.02.2016 का भी अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने उपर लगाये गये आरोपो को खण्डन करते हुए अंकित किया है कि उनके न्यायालय में लंबित मुकदमा सं0 38/2015 कुलवंतसिंह बनाम सुरेन्द्रसिंह धारा 251(क) आरटीए को अगर अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नही है। प्रार्थी ने इस आधार पर मुकदमा मुन्तकिली की प्रार्थना की है कि अप्रार्थी कुलवंत सिंह अधिशाषी अभियन्ता के पद से सेवानिवृत है और सरेआम कह रहा है कि उनकी अधिकारी से बात हो गई है और फैसला उसके हक में होगा। अप्रार्थी कुलवंत सिंह एक सेवानिवृत अधिकारी है और उसने अपने खेत के लिए रास्ता की मांग आवश्यकतानुसार की है उसमें भी उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन सेवानिवृत अधिकारी होने से यह नही माना जा सकता कि उपखण्ड अधिकारी उसके प्रभाव में हो। ऐसा कोई ठोस साक्ष्य भी पत्रावली में नही है जिससे आभास हो कि उपखण्ड अधिकारी उसके प्रभाव में है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि अगर प्रकरण को मुन्तकिल नही किया गया तो प्रार्थी के साथ वास्तव में अन्याय होगा। जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

160
18-1-17

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर